

अनुलग्न-3

(नियम 13 एवं 14 देखें)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड-बुरहानपुर

जिला बुरहानपुर

राजस्व प्रकरण क्रमांक- 0022/अ-2/2019-20



भूमिस्वामी का नाम, माता/पिता/पति का नाम- एन. आर. ग्रेन्स एल.एल.पी.
बुरहानपुर की ओर से भागीदार राहुत पिता नरेन्द्र कुमार अग्रवाल
पता- 203 सी के कैंपस बहादरपुर रोड बुरहानपुर

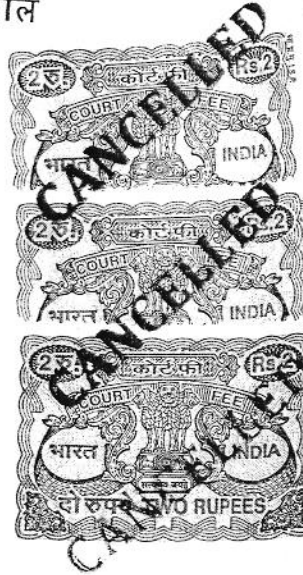
आवेदक (यदि भूमिस्वामी से भिन्न है तो) के
विवरण.....

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

----- व्यपवर्तन की सूचना की पुष्टि/आदेश -----

(दिनांक- 09/07/2019)



मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 59 के अंतर्गत एन. आर. ग्रेन्स एल.एल.पी. बुरहानपुर की ओर स भागीदार राहुत पिता नरेन्द्र कुमार अग्रवाल बहादरपुर रोड बुरहानपुर तहसील बुरहानपुर द्वारा दिनांक 13-06-2019 को ग्राम/सेक्टर- दर्यापुरकला पटवारी हल्का 020 राजस्व निरीक्षक मण्डल बुरहानपुर नगरीय निकाय बुरहानपुर तहसील बुरहानपुर जिला बुरहानपुर स्थित नीचे तालिका में दिए गये विवरण की भूमि के व्यपवर्तन की सूचना प्रस्तुत की गयी है। उसके द्वारा चालान क्रमांक 5498, 00295500, 00295502 दिनांक 10 -06-2019 राशि 247050 रुपये जमा किये गये प्रीमियम एवं वार्षिक पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की राशि

प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिकार
तहसील कार्यालय - बुरहानपुर

अनुविभागीय अधिकारी
बुरहानपुर

110 JUL 2019

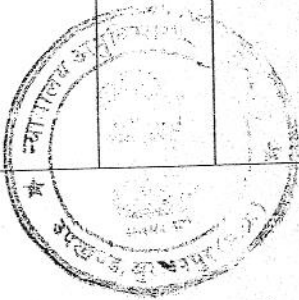
के विवरण तालिका-1 अनुसार है, न्यायालय द्वारा की गयी संगणक का वितरण तालिका-2 अनुसार है और अंतर की राशि के विवरण तालिका-3 अनुसार है

तालिका-1: आवेदक द्वारा संगणित एवं जमा की गई राशि का विवरण

सर्वेक्षण संख्यांक	व्यपवर्तन पूर्व का प्रयोजन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	व्यपवर्तित प्रयोजन	व्यपवर्तित क्षेत्रफल(वर्ग	प्रीमियम प्रति वर्ग	कुल प्रीमियम (रूपये में)(5*6)	भू-राजस्व प्रति वर्ग मीटर	कुल भू-राजस्व (रूपये में)(5*8)	कुल योग (रूपये में)(7+9)	पंचायत उपकर (यदि देय हो तो)(रूपये में)	शाला विकास कर (यदि देय हो तो)(रूपये में)	महायोग (रूपये में)(10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
601,602/1,603/1,603/2,605	कृषि	73200	औद्योगिक	73200	2.25रू.	164700	0.75रू	54900रू.	219600रू	27450	निरंक	247050 रू.

तालिका-2: न्यायालय द्वारा संगणित की गई राशि का विवरण

सर्वेक्षण संख्यांक	व्यपवर्तन पूर्व का प्रयोजन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	व्यपवर्तित प्रयोजन	व्यपवर्तित क्षेत्रफल(वर्ग मीटर में)	प्रीमियम प्रति वर्ग	कुल प्रीमियम (रूपये में)(5*6)	भू-राजस्व प्रति वर्ग मीटर	कुल भू-राजस्व (रूपये में)(5*8)	कुल योग (रूपये में)(7+9)	पंचायत उपकर (यदि देय हो तो)(रूपये में)	शाला विकास कर (यदि देय हो तो)(रूपये में)	महायोग (रूपये में)(10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
601,602/1,603/1,603/2,605	कृषि	73200	औद्योगिक	73200	2.25रू.	164700	0.75रू	54900रू.	219600रू	27450	निरंक	247050 रू.



जु 11 2019
बुरहानपुर

110 JUL 2019

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रधान प्रतिलिपिकार
तहसील कार्यालय - बुरहानपुर

तालिका-3 अंतर की राशि के विवरण

विवरण	आवेदक द्वारा संगणित राशि(रूपये में)	न्यायालय द्वारा संगणित राशि (रूपये में)	अंतर की राशि जो जमा की जाना शेष है (रूपये में)	अंतर की राशि जो वापिस की जाना है (रूपये में)
1	2	3	4	5
1	प्रीमियम राशि	164700रू.	164700रू.	निरंक
2	वार्षिक पुनर्निधारीत भू-राजस्व	54900रू.	54900रू.	निरंक
3	वार्षिक पंचायत उपकरण(यदि देय हो तो)	27450 रू	27450 रू	निरंक
4	शाला विकास कर (यदि देय हो तो)	निरंक	निरंक	निरंक
5	योग	247050/-.	247050/-.	निरंक

2/- एतदद्वारा, व्यपवर्तित भूमि पर देय प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारित वार्षिक भू-राजस्व की गणना सही है एवं गणना अनुसार राशि जमा की जा चुकी है अतः मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के नियम 13 के उपनियम (1) के अंतर्गत व्यपवर्तन की सूचना में उल्लेखित गणना की पुष्टि की जाती है।



या

एतदद्वारा, उक्त नियम के नियम 13 के उपनियम (2) एवं 14 के उपनियम (1) के अंतर्गत उपर्युक्त तालिका-3 के स्तम्भ (5) में दर्शाये अनुसार अंतर की कुल राशि रूपये निरंक (शब्दों में निरंक) की सूचना भूमि स्वामी/आवेदक को दी गई। भूमि स्वामी/आवेदक अंतर की उक्त राशि चालान क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा जमा करा दी है अतएव व्यपवर्तन की गणना की पुष्टि की जाती है।

या

एतदद्वारा, व्यपवर्तित भूमि का प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारित वार्षिक भू-राजस्व की जमा राशि, न्यायालय की गणना अनुसार एक वर्ष हेतु विधायित राशि से अधिक जमा की गई है अतः उक्त नियम के नियम 13 के उपनियम (1) के अंतर्गत व्यपवर्तन की गणना की पुष्टि करत

(Signature)
बुरानपुर

तालिका-3 के स्तम्भ (6) में दर्शाये अनुसार अधिक जमा की गई कुल राशि रुपये निरंक
में निरंक) है, तथा भूमिस्वामी/आवेदक द्वारा दी गई सहमति के अनुसार राशि रुपये
निरंक(शब्दों में निरंक) को आवेदित भूमि हेतु देय भू-राजस्व के लिए अग्रिम भुगतान के
रुपये में समायोजित किया जाये।

अथवा

एतदद्वारा निर्देशित किया जाता है कि तहसील का आहरण एवं संवितरण अधिकारी
भूमिस्वामी/आवेदक द्वारा जमा की गयी अधिक राशि का उसे, उसके द्वारा दिए गये खाते
के विवरण, जो कि नीचे दर्शाये जा रहे हैं, में अंतरित करते हुए वापिस करे:-

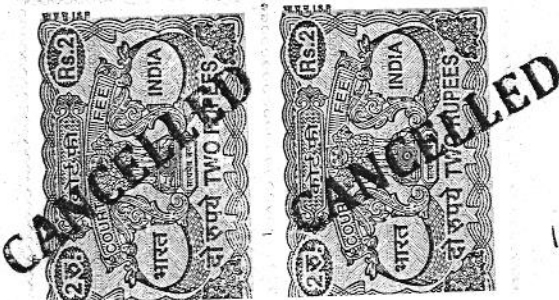
1.	राशि जमा किये जाने का चालान क्रमांक और दिनांक	निरंक	निरंक
2.	वापसी से संबंधित वर्ष	निरंक	निरंक
3.	वापस दी जाने वाली राशि अंको में- शब्दों में-	निरंक	निरंक
4.	जिस व्यक्ति को राशि वापस दी जा रही है, उसके बैंक खाते का विवरण	खाता धारक का नाम	निरंक
		बैंक तथा शाखा का नाम	निरंक
		बैंक खाता नंबर	निरंक
		IFSC कोड	निरंक

3/- तहसीलदार आदेश के पालन में संबंधित भू-अभिलेखों में प्रविष्टियां अद्यतन कराये और
समायोजन की दशा में समायोजित राशि का भी अभिलेख में उल्लेख में उल्लेख करे।



उपखण्ड अधिकारी, न्यायलय
(उपखण्ड का नाम)

(जिले का नाम)



10 JUL 2019

प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिकार
तहसील कार्यालय - बुखार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी-बुरहानपुर जिला-बुरहानपुर
राजस्व प्रकरण क्रमांक- 0022 अ2-2019-20 दिनांक 09/07/2019

मध्यप्रदेश शसन

प्रति,

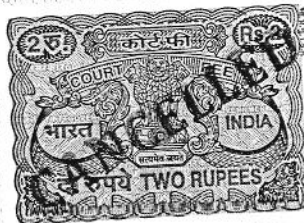
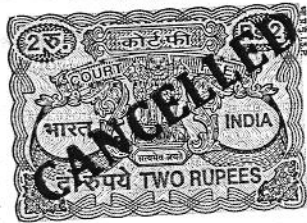
विरुद्ध

भूमिस्वामी का नाम,माता/पिता/पति

एन. आर. ग्रेन्स एल.एल.पी. बुरहानपुर की ओर से भागीदार राहुत पिता
नरेन्द्र कुमार अग्रवाल पता- 203 सी के कैंपस बहादुरपुर रोड बुरहानपुर

--- सूचना/ मांग- पत्र ---

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 59 एवं मध्यप्रदेश भूम-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा ग्राम/सेक्टर दर्यापुरकला पटवारी हल्का-020 राजस्व निरीक्षक मंडल बुरहानपुर नगरीय निकाय बुरहानपुर तहसील बुरहानपुर जिला बुरहानपुर स्थित नीचे तालिका-1 में दिये गये विवरण की भूमि विधिवत सूचना दिये बिना/ त्रुटिपूर्ण सूचना देते हुए व्यपवर्तित की गई है।



अधिकारी
बुरहानपुर



प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रधान प्रतिलिपिकार
तहसील कार्यालय - बुरहानपुर

110 JUL 2019

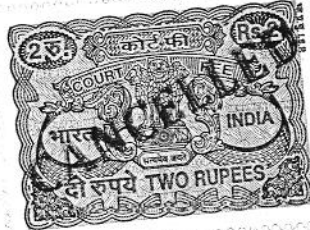
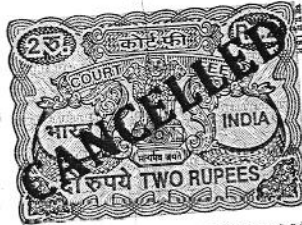


तालिका-1 : स्थल पर पाई गई व्यपवर्तित भूमि के विवरण और उस पर देय प्रीमियम तथा पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की जानकारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
सर्वेक्षण संख्यांक	व्यपवर्तन पूर्व का प्रयोजन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	व्यपवर्तित प्रयोजन	व्यपवर्तित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	प्रीमियम प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)	कुल प्रीमियम (रूपये में) (5*6)	भू-राजस्व प्रति वर्ग मीटर	कुल भू-राजस्व (रूपये में) (5*8)	कुल योग (रूपये में) (7+9)	पंचायत उपकर (यदि देय हो तो) (रूपये में)	शाला विकास कर (यदि देय हो तो)	
601,602/1,603/1,603/2,605	कृषि	73200	औद्योगिक	73200	2.25रू.	164700	0.75रू.	54900रू.	219600रू.	27450	निरंक	

2/- आपके द्वारा उपरोक्त भूमि के संबंध में कोई व्यपवर्तन की सूचना नहीं दी है।
या

आपके द्वारा दी गई व्यपवर्तन की सूचना के विवरण नीचे तालिका-2 अनुसार है,
जो त्रुटिपूर्ण पाये गये हैं।



अनुविभागीय अधिकारी
बुरहानपुर

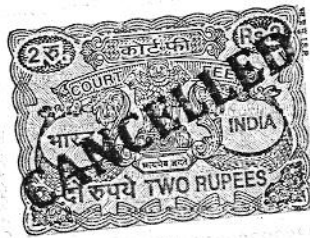
प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिकार
तहसील कार्यालय - बुरहानपुर

11.0 JUL 2019

निंरंक	(1)	सर्वेक्षण संख्यांक
निंरंक	(2)	व्यपवर्तन पूर्व का प्रयोजन
निंरंक	(3)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
निंरंक	(4)	व्यपवर्तित प्रयोजन
निंरंक	(5)	व्यपवर्तित क्षेत्रफल(वर्ग मीटर में)
निंरंक	(6)	प्रीमियम प्रति वर्ग मीटर(रूपये में)
निंरंक	(7)	कुल प्रीमियम (रूपये में)(5*6)
निंरंक	(8)	भू-राजस्व प्रति वर्ग मीटर
निंरंक	(9)	कुल भू-राजस्व (रूपये में)(5*8)
निंरंक	(10)	कुल योग (रूपये में)(7+9)
निंरंक	(11)	पंचायत उपकर (यदि देय हो तो)(रूपये में)
निंरंक	(12)	शाला विकास कर (यदि देय हो तो)(रूपये में)
निंरंक	(13)	महायोग (रूपये में)(10+11+12)

3/- उपरोक्त कंडिका-1 एवं कंडिका-2 के विश्लेषण के आधार पर अंतर की राशि रूपये निरंक (शब्दों में रूपये निरंक) आपके द्वारा जमा कराया जाना अपेक्षित है। चूंकि आपके द्वारा व्यपवर्तन की विधिवत सूचना नहीं दी गई है/त्रुटिपूर्ण दी गई है, इस कारण संहिता की धारा 59 की उपधारा (9) के अनुसार उक्त अंतर की राशी के अतिरिक्त उस पर 50-शस्ति राशि के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी है।

4/- अत एवं आपको सूचित किया जात है कि क्यों न आपसे उक्त अंतर की राशि एवं उस पर शास्ति और विधि अनुसार देय व्याज की राशि वसूल की जाये। आप दिनांक निरंक समय निरंक बजे इस न्यायालय के समक्ष स्वयं या मान्यता प्राप्त अभिकर्ता या विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।



मुख्य अधिकारी
बुखारपुर
(उपखण्ड का नाम)

(जिले का नाम)

प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रमाण प्रतिलिपिका
तहसील कार्यालय - बुखारपुर

11.0 JUL 2014